



# उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज-211 001

पत्रांक : उ0शि0आयोग/सी-885/1587/2022-2023

दिनांक : 02 जनवरी, 2023

## प्रेस-विज्ञप्ति (10)

शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा अपने पत्रांक-डिग्री अर्थ-1(आयोग)/108/2022-23 दिनांक 13.05.2022 के माध्यम से महिला विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ में निम्न विषयों में रिक्त 13 पदों में आरक्षण निम्नवत उपलब्ध कराया गया है जिन्हें विज्ञापन संख्या-51 में विज्ञापित किया गया है-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय	अधियाचित पदों की संख्या	UR	EWS	OBC	SC	ST
173	महिला विद्यालय, डिग्री कालेज, लखनऊ	संस्कृत	1	0	0	1	0	0
		समाजशास्त्र	1	1	0	0	0	0
		अंग्रेजी	1	0	0	1	0	0
		मानवशास्त्र	2	1	0	1	0	0
		दर्शनशास्त्र	1	1	0	0	0	0
		प्राचीन इतिहास	1	0	1	0	0	0
		वनस्पति विज्ञान	1	1	0	0	0	0
		गृहविज्ञान	1	1	0	0	0	0
		वाणिज्य	1	0	1	0	0	0
		बी०एड०	2	1	0	1	0	0
		भौतिक विज्ञान	1	0	0	1	0	0
			13	06	02	05	00	00

उक्त अधियाचित पदों के उपरान्त शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा अपने पत्रांक-डिग्री अर्थ-1(आयोग)/698/2022-23 दिनांक 16.12.2022 द्वारा पूर्व में अधियाचित 13 आरक्षित श्रेणियों में महिला विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ के पदों में अंग्रेजी एवं संस्कृत (मूल अधियाचन के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग में अधियाचित) विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की आरक्षित श्रेणी को संशोधित करते हुए निम्नानुसार अधियाचन आयोग को उपलब्ध कराया गया है-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय	अधियाचित पदों की संख्या	UR	EWS	OBC	SC	ST		
1	महिला विद्यालय, डिग्री कालेज, लखनऊ	समाजशास्त्र	1	0	0	1	0	0		
		मानवशास्त्र	2	1	0	0	1	0		
		दर्शनशास्त्र	1	0	0	1	0	0		
		प्राचीन इतिहास	1	0	0	1	0	0		
		वनस्पति विज्ञान	1	0	0	0	1	0		
		गृहविज्ञान	1	0	0	0	1	0		
		वाणिज्य	1	0	0	0	1	0		
		बी०एड०	2	1	0	1	0	0		
		भौतिक विज्ञान	1	1	0	0	0	0		
					11	03	00	04	04	00
		संस्कृत	1	मूल अधियाचन के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग में						
अंग्रेजी	1	मूल अधियाचन के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग में								
कुल योग			13	03	00	06	04	00		

उक्त स्थिति में आयोग की बैठक संख्या-1193 दिनांक 21.12.2022 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्तवत पूर्व अधियाचित रोस्टर में उक्तानुसार संशोधित समझा जाये।

सचिव  
उ0शि0 आयोग

डॉ० (शिव प्री मालवीय)  
उपसचिव  
कृते सचिव